

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED

(Formerly Known as Rich Capital & Financial Services Limited)

Regd. Office: 7/125, (C-2), 2nd FLOOR, SWAROOP NAGAR, KANPUR – 208002

E-mail: rcfsl@rediffmail.com

Dated: 23 August 2025

To,
The Deputy General Manager,
Department of Corporate Services,
BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

SUB: NEWSPAPER PUBLICATION OF NOTICE FOR 35TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Ref.: RICH UNIVERSE NETWORK LTD. (SCRIP CODE-530271)

Dear Sir/Madam,

We herewith enclose copies of newspaper advertisements regarding the notice of the 35th Annual General Meeting of the Company for the Year 2024-2025, to be held on Tuesday, 16th September, 2025 at the Registered office of the company at 7/125, (C-2), 2nd Floor, Swaroop Nagar, Kanpur – 208002.

Published in 'Financial Express' and 'Jansatta' on August 22, 2025 and August 23, 2025 respectively.

The above information is also available on the website of the Company www.richuninet.com.

Thanking you.

FOR RICH UNIVERSE NETWORK LTD.

**SHASHWAT AGARWAL
(MANAGING DIRECTOR)
(DIN: 00122799)**

ZONAL STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (ZOSARB), S.C.O. 1120-1121, Sector 22B, Chandigarh-160022. ANNEXURE - I - REDEMPTION NOTICE

PUBLIC NOTICE I Mahender Kumar Sharma S/o Hari Shankar Sharma R/o 1/5500 Gali-16B Balbir Nagar Extension Shadbadi I have Lost my Equity Share Certificate Piccadilly Agro Industries Ltd Folio No 0002837, CERT-00067030. End Certificate-00067036, ST. Dist-016596221: End Dist-016596220: Shares-700. call No 9810339058

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank) Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. E-AUCTION NOTICE PUBLIC NOTICE FOR SALE THROUGH E-AUCTION UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT (SARFAESI ACT) 2002, READ WITH PROVISIO RULE 8(6) & 9 OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.

Re: Notice under Rule 6(2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002).

Before The Motor Accident Claim Tribunal (Auxil.) Rajkot (Gujarat) MACP No. : 454/2019 Hod. Minor Nilesh A. Dumadiya MACP No. : 455/2019 Hod. Minor Siddharth A. Dumadiya MACP No. : 417/2019 Hod. Ashokbhai S. Dumaliya MACP No. : 509/2019 Minor Pooja M. Sapara ...Claimants

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051. Corporate Office: ICICI HFC Tower, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059. Branch Office: Ground floor, Eldeco House/Eldeco Shoppe, Hall -1, Vibhuti Khand, Gombi Nagar, Lucknow - 226010

SCHEDULE OF SECURED ASSETS/PROPERTIES Description of the Movable/Immovable Properties Date of Possession Type of Possession (Symbolic/Physical) Date of Publication of Possession Notice (For Immovable property only)

The aforesaid Babu Anupa Bhuriya is hereby informed that the claimants of C.C.No.454/2019 & C.C.No. 455/2019 filed claims on 01/04/2019 U/s. 163-A of M.V. Act for getting compensation of Rs.4,09,500/-, Claimants of C.C.No. 417/2019 filed claim on 26/03/2019 U/s. 166 of M.V. Act for getting compensation of Rs.20,00,000/- & claimant of C.C.No.509/2019 filed claim on 12/04/2019 U/s. 166 of M.V. Act for getting compensation of Rs.5,00,000/-

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051. Corporate Office: ICICI HFC Tower, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059. Branch Office: Ground floor, Eldeco House/Eldeco Shoppe, Hall -1, Vibhuti Khand, Gombi Nagar, Lucknow - 226010

DMi HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED Express Building, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 Tel.: +91-11-41204444, Fax: +91-1141204000, Email: ashish.pandey@dmihousingfinance.in www.dmihousingfinance.in

Prepared by (Sign) Assistant District Judge, Rajkot Order by (Sign) Deputy Registrar, M.A.C.T (Main), Rajkot

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051. Corporate Office: ICICI HFC Tower, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059. Branch Office: IShop No.9, Ground Floor, GKS Palace, Ayub Khan- Choupla Road 63-64, Civil Lines, Bareilly- 243001

E-AUCTION SALE NOTICE THROUGH PRIVATE TREATY (UNDER SARFAESI ACT) DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED (Secured Creditor) had already been taken over under provisions of section 13 (4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on 18th August 2023.

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051. Corporate Office: ICICI HFC Tower, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059. Branch Office: IShop No.9, Ground Floor, GKS Palace, Ayub Khan- Choupla Road 63-64, Civil Lines, Bareilly- 243001

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Panel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552 DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED (Formerly Known as Rich Capital & Financial Services Limited) Regd. Office: 7/125, (C-2), 2nd FLOOR, SWAROP NAGAR, KANPUR - 208002 E-mail: rcfis@rediffmail.com

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank) Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Regional Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051. Corporate Office: ICICI HFC Tower, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059. Branch Office: IShop No.9, Ground Floor, GKS Palace, Ayub Khan- Choupla Road 63-64, Civil Lines, Bareilly- 243001

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank) Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Panel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552 DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

खबर कोना

दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, पथराव में पांच लोग हुए घायल
मोदीनगर, 22 अगस्त (जनसत्ता)।

मुरादनगर कोतवाली क्षेत्र में इंदगाह कालोनी स्थित लाल पुल के पास दो पक्षों के बीच गुरुवार रात हुए हिंसक झड़प में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान पांच लोग घायल हुए हैं। वहीं, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों पक्षों के लोग भाग गए। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों के बीच हुई छोटी सी कहासुनी ने बड़ों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया। जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराबाजी शुरू कर दी। करीब 10 से 15 मिनट तक चले पथराव में इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में पांच लोग घायल हुए। जिनमें एक महिला और एक मासूम बच्चा भी शामिल है। घायलों को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुरादनगर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस झगड़ा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करेगी।

उरई : दो मोटरसाइकिल की भिड़त में चार घायल
उरई, 22 अगस्त (जनसत्ता)।

माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़त हो गई। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार चार लोग घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार, रामपुरा कस्बा के तला मोहल्ला निवासी वाहत (17) पुत्र जगत सिंह अपने भाई साहिल (14) के साथ किसी काम से माधोगढ़ जा रहा था। वहीं, कोतवाली क्षेत्र के गांव रुदपुरा निवासी सोनू (21) पुत्र अशोक कुमार अपने साथी मट्ठरू के साथ मोटरसाइकिल से माधोगढ़ से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़त हो गई। राहगीर व स्थानीय दुकानदारों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां पर साहिल व सोनू की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

करंट लगने के बाद युवक को मिट्टी में दबाकर रखा, मौत पीलीभीत
पीलीभीत, 22 अगस्त (भाषा)।

घुघचाई थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के तार की चोट में आने और फिर अंधविश्वास के तहत एक घंटे तक घर पर ही इलाज किए जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने एक घंटे तक मिट्टी में दबाकर उसका उपचार किया और फिर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, घुघचाई थाना क्षेत्र के गांव लुकटिहाई निवासी दाताराम (35) शुक्रवार को बांस काट रहा था, इस बीच बांस के ऊपर से गुजर रहा हाई टेंशन लाइन का तार बांस से छू गया। बांस में करंट उतरने से दाताराम बिजली की चपेट में आ गया और वह बेहोश हो गया। ग्रामीणों के अनुसार, उसके रिश्तेदारों ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसे जमीन पर लिटाकर मिट्टी से दबा दिया और उसके हाथ-पैर राइफ़र लगभग एक घंटे तक उसे होश में लाने की कोशिश की। थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र ने कहा कि जब सभी प्रयास विफल रहे तो दाताराम को पुरनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की संभल मस्जिद के खिलाफ हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पर 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंद्रकर की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई, 2025 के आदेश के खिलाफ संभल मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई के बाद यह कदम उठाया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अमदी ने दलील दी कि चुनौती हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को लेकर है कि मुकदमा उपासना स्थल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा कि क्या इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिवादियों की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन

ने दलील दी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित मुद्दा ही नहीं उठा। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि संभल मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसलिए यह अधिनियम के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि वादी केवल स्मारक तक पहुंचने की मांग कर रहे हैं। जैन ने आगे दलील दी कि न्यायालय की एक अन्य पीठ ने शुक्रवार को ही एक आदेश पारित किया कि एएसआइ द्वारा संरक्षित एक स्मारक पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद पीठ ने जैन से सोमवार को उक्त आदेश प्रस्तुत करने को कहा। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए कहा कि हम उस आदेश को देखेंगे। हम असंगत आदेश पारित नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उस चक्र तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने नियती अदालत के 19 नवंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें मस्जिद परिसर की स्थानीय जांच के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

संभल शाही जामा मस्जिद विवाद मामला।

कांवड़ियों पर टिप्पणी का मामला

स्वामी प्रसाद मौर्य व इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका

संभल, 22 अगस्त (भाषा)।

कांवड़ियों के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर संभल जिले की एक अदालत ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। कांवड़ियों के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर संभल जिले की एक अदालत ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है।



स्वामी प्रसाद मौर्य (बाएं) और इकबाल महमूद (दाएं)।

राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की सुनवाई नौ सितंबर को होगी

सुल्तानपुर, 22 अगस्त (भाषा)।

जनपद के सांसद-विधायक अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की सुनवाई अब नौ सितंबर को होगी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत ने राहुल गांधी के अधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने पर अगली सुनवाई की तारीख दे दी। मामले में वादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने यह जानकारी दी।

आरोप है कि इस बयान से लाखों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी तरह, संभल के विधायक इकबाल महमूद पर भी कांवड़ियों को 'गुंडे और मवाली' कहने का आरोप है। गुप्ता के अनुसार, महमूद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि 'कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्योदा गुंडे और मवाली होते हैं'। गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में बहजोड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अग्निवीर भर्ती : पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़

मुजफ्फरनगर, 22 अगस्त (जनसत्ता)।

अग्निवीर सेना भर्ती 2025 के लिए चल रही प्रक्रिया के पहले दिन शुक्रवार को जनपद गौतमबुद्धनगर एवं शामली के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में अभ्यर्थियों ने दौड़ व अन्य प्रक्रिया संपन्न की। पांच सितंबर तक चलने वाली इस भर्ती में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से करीब 17,000 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। युवाओं की सुविधा को देखते हुए नार्दन रेलवे ने गाजियाबाद से सहारनपुर के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया ताकि भर्ती में आने वाले उम्मीदवारों को किसी तरह की असुविधा न हो। गौतमबुद्धनगर व शामली के अलावा बिजनौर, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद हापुड़, मेरठ व मुजफ्फरनगर से हजारों की संख्या में युवा सेना में शामिल होने का सपना लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस और जिला प्रशासन ने स्टैंडिंग ऑर आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आधुनिकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं।



तेयारी गाजियाबाद में शुक्रवार को भगवान गणेश की प्रतिमा में रंग भरती कलाकार।

पार्किंग विवाद में शिक्षक की पीट-पीट कर हत्या, तीन गिरफ्तार

वाराणसी, 22 अगस्त (जनसत्ता)।

भेलूपुर थाना क्षेत्र में पार्किंग विवाद में एक निजी स्कूल के शिक्षक की ईंट और लोहे की छड़ से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) सरवन. टी ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के मातृ अपार्टमेंट में रहने वाले शिक्षक प्रवीण झा (48) की गुरुवार रात पार्किंग को लेकर अपार्टमेंट में ही रहने वाले आदर्श सिंह से

वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के मातृ अपार्टमेंट में रहते थे शिक्षक, मुख्य आरोपी आदर्श सिंह भी था यहीं का निवासी।

कहासुनी हो गई। इसके बाद आदर्श ने अपने दो साथियों करण व सतीश पटेल के साथ मिलकर प्रवीण की ईंट और लोहे की छड़ से पिटाई कर दी जिससे प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि परिजन तत्काल उन्हें ट्रामा सेंटर ले गए, जहां

चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी आदर्श एक निजी कंपनी में मार्केटिंग का कार्य करता है। वह पटना के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का बेटा है। साल भर पहले ही चंदौली निवासी करण से उसकी दोस्ती हुई थी। उसका साथी सतीश पटेल मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचा था। घटना के समय आदर्श नशे की हालत में था।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय - दिल्ली, लीसाजी मॉडल, प्लॉट संख्या 21, 21/1, पुरा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005. फ़ोन - 011 4233 1664/011 4512 866/ 7982865660 ईमेल - roi1008@sib.co.in/ qc1008@sib.co.in	
आरको: DEL/CRD/SAR/29/2025-26 दिनांक: 21-08-2025	
ई-नीलामी विक्री सूचना	
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान के साथ पब्लिक वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अवल आसियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना।	
1. श्री प्रदीप कुमार रस्तोगी (मालिक-मेसर्स एयर कंशीनर पॉइंट) भूतल, 104ए/347, राम बाग, कानपुर नगर- उ.प्र.-208012 अन्य पता : निवासी 111ए/354, अशोक नगर, आर.के. नगर, कानपुर, उ.प्र.-208012 अन्य पता : 111/430, 80 फीट रोड, कानपुर, उ.प्र.-208012	
2. श्रीमती नीलू रस्तोगी निवासी- 111ए/354, अशोक नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208012 अन्य पता : 111/430 80 फीट रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208012 एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, शाखा कानपुर (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधक रखी गई नीचे वर्णित अवल संपत्ति, जिसका प्रतीकालक कब्जा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर, "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" की शर्त पर 09-09-2025 को र. 1,38,77,292.38 (एक करोड़ अठतीस लाख सत्तर हजार दो सौ बान्ने और पैसे छत्तीस मात्र) दिनांक 05-06-2025 को, उस पर माघेय में ब्याज, लाभा और व्यय आदि सहित, की बसूली हेतु बेचा जाएगा, जो उधारके उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, शाखा कानपुर (सुरक्षित लेनदार) को देव है।	
संपत्ति स्वामी का नाम	श्री प्रदीप कुमार रस्तोगी
संपत्ति का विवरण	कानपुर नगर क्षेत्र के एएसआर जॉन-2, कानपुर नगर में बहुमंजिला इमारत की पहली मंजिल पर स्थित प्लेट संख्या 111ए/354 का यह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 117.054 वर्ग मीटर है, जिसमें साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के अधिकार, निर्माणों पर अन्य सभी अनुलग्न अधिकार, विधायना या निर्मित होने वाले सुविधाधिकार अधिकार और उनमें सुधार शामिल हैं, साथ ही अशोक नगर, एएसआर जॉन-2, कानपुर नगर जिला, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208012 में 139.62 वर्ग मीटर भूमि में से 31.43 वर्ग मीटर अनुप्राणिक अधिभाजित हिस्सा, जो श्री प्रदीप कुमार रस्तोगी के स्वामित्व में है और जिसका विवरण पंजीकृत विक्री बिलेय दर्शाते संख्या: 5695/2012, दिनांक 20-09-2012, एएसआर(ओ) - जॉन-2 कानपुर नगर और उत्तर में प्लॉट संख्या 33 प्लू: 6.09 मीटर रोड दक्षिण: प्लॉट संख्या 31 पश्चिम: प्लॉट संख्या 27 र. 69.30,000/- (एक करोड़ त्रिंशत्त लाख तीस हजार मात्र)
आरक्षित मूल्य	र. 69.30,000/- (एक करोड़ त्रिंशत्त लाख तीस हजार मात्र)
बयाना राशि (ईएमपी)	र. 6,93,000/- (छह लाख त्रिंशत्त हजार मात्र) ईएमपी 08-09-2025 को दोपहर 02.00 बजे तक या उससे पहले जमा की जानी चाहिए।
बोली की सुविधाई तिथि	र. 50,000/- (फिफ्ट लाख हजार रुपये)
ई-नीलामी की तिथि और समय	09-09-2025 प्रातः 11:00 बजे से 11:30 बजे तक (विक्री पूर्ण होने तक 5 मिनट के अंतर्गत्त रुक: रिस्तर के साथ)
बैंक को ज्ञात ऋणदार	01-12-2019 से 23-06-2024 तक मूल्य/ऋणमार्।
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी	हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड
CIN: L51100UP1990PLC012089
(पूर्व में रिच कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
पंजी. कार्यालय: 7/125, (सी-2), द्वितीय तल, स्वरूप नगर, कानपुर- 208002
ईमेल: rcfsl@rediffmail.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों को 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को अपराह्न 04:15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 7/125, (सी-2), द्वितीय तल, स्वरूप नगर, कानपुर-208002 में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परिषदों के अनुमति से, विनियम 110 2024-2025 के लिए एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण (स्टैंडअरडिशन), बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न होने वाले आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिसका ईमेल पता कंपनी/डिवाइडेंटों पॉर्टल/रिच के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी को वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज यानि बोम्बेई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (उपबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्ध दाखिल और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पटित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को निरूपित सर्विसेज डिवाइडेंट लिमिटेड (एनएसडीएस) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज प्रेषित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना (रिमोट ई-नोटिफ) प्रदान करने में प्रसन्न है। सभी सदस्यों को सूचित किया जा रहा है कि:-

(ए) एजीएम में रिमोट ई-नोटिफ या वीडियो चॉट वोट करने के लिए सदस्यों को पारना निर्धारित करे की अंतिम तिथि 09 सितंबर, 2025 है।

(बी) रिमोट ई-नोटिफ 15 सितंबर, 2025 को सुबह 09:00 बजे आईएसटी पर शुरू होने और 15 सितंबर, 2025 को साय 05:00 बजे आईएसटी पर समाप्त होगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-नोटिफ को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(सी) एक व्यक्ति, जिसने ईमेल भेजने की तारीख यानि 21 अगस्त, 2025 के बाद शेयर हासिल कर लिया है और कंपनी का सदस्य बन गया है और कंट्रोल और तारीख यानि 09 सितंबर, 2025 को शेयर रखता है, वह www.evoting-india.nedsl.com पर अनुरोध भेजकर लाइन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। हालांकि, यह व्यक्ति ई-नोटिफ के विवरण के अंतर्गत से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोटिस और विवरण रूप से एजीएम के दौरान रिमोट ई-नोटिफ या वीडियो चॉट वोट करने के माध्यम से वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

(डी) भौतिक विधि में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट www.skylinera.com पर जाएं, ईमेल पंजीकरण पर क्लिक करें और उसमें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

(ई) डिस्टेंडरिक्लवेंड विधि में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को डिवाइडेंट प्रोफाइलिंग के साथ पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने वॉटरमार्क बनाए रखें हैं।

(एफ) एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.richuninet.com और एनएसडीएस की वेबसाइट www.evoting-india.com पर उपलब्ध है।

(जी) इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग को प्रक्रिया 35वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस के साथ-साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल और एनएसडीएस वेबसाइट www.evoting-india.com पर उपलब्ध है। ई-नोटिफ से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य evoting@nsdl.co.in या rcfsl@rediffmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

(ज) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोटिस और विवरण रूप से एजीएम के दौरान रिमोट ई-नोटिफ या वीडियो चॉट वोट करने के माध्यम से वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

सेबी के 2 जुलाई 2025 के परिषद संख्या SEBI/HO/MIRSD/MRSD-POD/CIR/2025/97 के अनुसार, शेयरधारकों के लिए 2 जुलाई 2025 से 6 नवंबर 2026 तक छह महीने की एक विशेष अवधि खोली गई है ताकि वे भौतिक शेयर प्रस्तावनाओं को पूरा कर सकें जो पूरा नहीं हुए थे या संसोधित नहीं किए गए थे। ऐसे अनुरोध, उपरोक्त छह महीने की अवधि के भीतर सुचारू और पुनः प्रदान किए जाने के बाद, केवल डीमैट रूप में ही संसोधित किए जाएंगे। शेयरधारकों को कंपनी के आरटीए, स्कैनरहासिल पारदर्शितायल सर्विसेज प्रॉडक्ट लिमिटेड को पूर्ण अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, या कंपनी से rcfsl@rediffmail.com पर संपर्क करना होगा।

हस्ता/-
आस्था चतुर्वेदी
कंपनी सचिव

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड सीधी मंजिल, टॉवर 3, इन्फिनिक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ली, मुंबई 400070	
मौत सूचना	
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत।	
अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार विचकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की तिथि-वस्तु नीचे उद्धृत की गई है।	
क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम
1.	एफकेएस एंटरप्राइजेस 2. एफकेएस मॉडेर्नजिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 3. राधेश कुमार शर्मा 4. आरती शर्मा
	मांग सूचना की तिथि: 19 अगस्त 2025 मांग सूचना की तिथि: 19 अगस्त 2025 सूचना की राशि: र. 41,57,755.00/- 19 अगस्त 2025 तक
	लैन - UGLWSS000066372
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण - मकान संख्या-599बी/1/457डी प्लॉट संख्या-47-48-49, 50 पर निर्मित, सड़क संख्या 609, 614, 665,667,668, 669, 676, 677, 679 और 674 का हिस्सा, सेक्टर-788 वर्ग फीट, ग्राम-नागा, तार-आसरागर, राहौल और जिला-सुरगढ में स्थित, इस प्रकार विस्तार हुआ: उत्तर, आभा का मकान, दक्षिण: श्री कुमर का प्लॉट/मकान, पूर्व: उषा दीक्षित का प्लॉट, पश्चिम- 19 फीट चौड़ी सड़क	
उधारकर्ताओं को सावधानी दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का अनुपालन इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही मुदान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, वित्तित भूतगत देन, ब्याज शुल्क, लाभा और व्यय आदि का मुदान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त उक्त सुविधा यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा निर्भर रखी गई अवल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देयदारियों का पूरा पूरा से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ताओं के ऋण खाते में कब्जा राशि वस्तुने के लिए किसी के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्वामित्वित करना शामिल है, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी भी हस्ताक्षर के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्ब करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की किसी के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बचपान राशि वस्तुने के लिए अलग से कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देने बचपान की राशि को कवर करने के लिए अप्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।	
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(6) और 13(7) का आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुदान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और अपने अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित संपत्ति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटारा या लेन-देन करने या किसी, पट्टे या अन्याय (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोना/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की तिथि नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।	
हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 23/08/2025	
यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com	

संक्षिप्त अधिवृहण सूचना	
PICICI Home Finance पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, बांद्रा-कोल्हापूर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	
निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एलएफसी टॉवर, अंधेरी कुर्ली रोड, जेजी नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 100	
शाखा कार्यालय : 200 /45/4, प्रथम तल, इंदिरा आर्कड, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद - 211009	
जकारे:	
ऑडिटर/हस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पब्लिक वल अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोगकर्ता, निम्न लिखित उधारकर्ताओं को मांग सूचनार्ण निर्गत की थी, जिनमें सूचनार्णों में अधिक राशि के अवल सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अवल प्रतिपालन करने को कहा गया था।	
यू ग्री ऋणकर्ता निर्धारित बचपान राशि का प्रतिपालन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को एवं उधरवारण को सूचित किया जाता है कि ऑडिटर/हस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमवली के नियम 8 के साथ पब्लिक वल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों को प्रयोगकर्ता, निम्नलिखित तिथियों के प्रतिपालन कर दिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा उधरवारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करे तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकारित होगा।	
ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्राधान्यों की ओर आकृष्ट किया जाता है।	
क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता(ओं) के नाम / ऋण खाता संख्या
1.	जितेंद्र कुमार (ऋणकर्ता), श्याम कोशल (सह-ऋणकर्ता), ल्या. LHALD00001439572
	अंशकी संख्या 516 मौत बहुमस्तुर परपना एवं तहसील सोरबं जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश 212109, लीसा - उत्तर : श्रीमती अरुणा देवी का ककान, दक्षिण : बीमा यादव